

राजस्थान सरकार  
शिक्षा (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक: प.1(29)शिक्षा-6/2018

जयपुर, दिनांक - 16.08.2018

- आदेश :-

संस्कृत शिक्षा विभाग के निम्नलिखित प्रधानाचार्य, वरिष्ठ उपाध्याय विद्यालय/प्रधानाध्यापक, प्रवेशिका विद्यालय का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख अंकित विवरणानुसार किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम कर्मचारी	पद	पदस्थापन स्थान	नवीन पदस्थापन स्थान	वि. वि.
1	श्री जगदीश चन्द्र शर्मा	प्रधानाचार्य	हमीरगढ़, भीलवाड़ा से रावउपासवि, राशमी (चित्तौड़गढ़) स्थानान्तरणाधीन, निरस्त कर	रावउपासवि, छाजवों का खेड़ा (भीलवाड़ा)	स्वैच्छिक
2	श्री रूपलाल माल	प्रधानाचार्य	रा.व.उ.स.वि. अरथुना (बांसवाड़ा)	रा.व.उ.स.वि. करगचिया, पं.स. घाटोल (बांसवाड़ा)	स्वैच्छिक
3	श्री लालचन्द्र शर्मा	प्रधानाचार्य	रावउपासवि, नाथद्वारा, राजसमन्द में किया गया स्थानान्तरण निरस्त कर	रा.व.उपासवि, नागल राजावतान, दोसा	स्वैच्छिक
4	श्री रमेश चन्द्र कारपेंटर	प्रधानाध्यापक	राप्रवेसवि, के.पाटन, बूंदी में किया गया स्थानान्तरण निरस्त कर	राप्रवेसवि, हिण्डोली, बूंदी	स्वैच्छिक
5	श्री देवेन्द्र जौनगर	प्रधानाध्यापक	राप्रवेसवि, कज़वली, उदयपुर	राप्रवेसवि, बल्लभनगर, उदयपुर	स्वैच्छिक
6	श्री महेश गौतम	प्रधानाध्यापक	राप्रवेसवि, अन्ता बारा	कार्यालय सभागीय संस्कृत शिक्षा अधि. कोटा	स्वैच्छिक

जिन प्रधानाचार्यों/प्रधानाध्यापकों का स्थानान्तरण प्रशासनिक कारणों से किया गया है, उन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता एवं योगकाल देय होगा। समस्त प्रधानाचार्यों/प्रधानाध्यापकों को दिनांक 23.08.2018 तक आवश्यक रूप से कार्यग्रहण करना होगा। परिवीक्षाधीन प्रधानाचार्यों/प्रधानाध्यापकों के संबंध में परीक्षा अवधि तक उक्त आदेश प्रभावी नहीं होगा। आर.वी.आर.ई.एस. योजना के अन्तर्गत कार्यरत प्रधानाचार्यों/प्रधानाध्यापकों को शहरी क्षेत्र के विद्यालयों हेतु कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे। जिन प्रधानाचार्यों/प्रधानाध्यापकों का स्थानान्तरण प्रशासनिक कारणों से किया गया है तथा उनकी

संयानिवृत्ति में एक वर्ष या उससे कम की अवधि शेष है उन्हें कार्यमुक्त न किया जावे और न ही वे स्वयं कार्यमुक्त हों।

सं/ -  
शासन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीया मंत्री, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त स्थानान्तरण सूची को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराने का श्रम करें।
4. संबंधित प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक, द्वारा निदेशक, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
5. रक्षित पत्रावली।

शुभ  
16/8/18  
अनुभागाधिकारी

राजस्थान सरकार  
निदेशालय संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर.

क्रमांक:-निसंशि/संस्था-1/II./2018, 24087-105 दिनांक:- 16-08-2018

राज्य सरकार द्वारा जारी उक्त स्थानान्तरण आदेशों की तत्काल पालना सुनिश्चित की जाकर कार्यमुक्ति/कार्यारम्भ की सूचना निदेशालय को प्रेषित करवाई जाए ।

सं/ -  
निदेशक,  
संस्कृत शिक्षा, राजस्थान,  
जयपुर.